न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,गंगापुर सिटी (राज0)
पीठासीन अधिकारी का नाम – श्री रामकिशोर मीना , आर0ए0एस0

मुकदमा नंबर	किस्म मुकदमा	दर्ज दिनांक
28 / 19	एफएसएस एक्ट, 2006	06 / 11 / 2019

1. वेद प्रकाश पूर्विया खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मु0चि0 एवं स्वा0 अधि0 सवाई माधोपुर ।

–आवेदक

बनाम

1. कैलाश चन्द्र गर्ग पुत्र श्री हुचीलाल गर्ग उम्र 52 साल जाति महाजन निवासी मूर्ती मोहल्ला ट्रक यूनियन के पास गंगापुर सिटी जिला सवाई माधोपुर (फर्म मालिक एवं खाद्य विक्रेता) मैसर्स श्री कृष्णा ट्रेडर्स पुरानी अनाज मंडी व्यापार मंडल मेरिज होम के पास गंगापुर सिटी।
2. विश्वनाथ चिरानिया पुत्र श्री बाबूलाल चिरानिया निवासी मकान नं0 29 नीमवाली धर्मशाला के पास वार्ड नं0 17 तहसील लक्ष्मणगढ जिला सीकर 332311 राजस्थान (प्रो0) मैसर्स अग्रवाल दाल मिल सीकर रोड लक्ष्मणगढ जिला सीकर राजस्थान 332311।

–अभियुक्तगण

जुर्म अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii)

निर्णय दिनांक 30.09.2024

उक्त न्याय निर्णयन आवेदन अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा प्राधिकृत खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री वेद प्रकाश पूर्विया , खाद्य सुरक्षा अधिकारी (आवेदक) ने अन्तर्गत एफएसएस एक्ट 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) के तहत प्रस्तुत किया गया। आवेदन के अनुसार आवेदक दिनांक 11/02/2019 को समय 01:03 पी0एम0 पर मैसर्स कृष्णा ट्रेडर्स पुरानी अनाज मंडी व्यापार मण्डल मेरिज होम के पास गंगापुर सिटी पर पहुँचा । वहां पर कैलाश चन्द्र गर्ग पुत्र श्री हुचीलाल गर्ग उपस्थिति था को आवेदक ने अपना परिपय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विकेता से परिचय लिया एवं आवेदक द्वारा विकेता से खाद्य रजिस्ट्रेशन व खाद्य अनुज्ञा पत्र की प्रति मांगी। विकेता द्वारा मौके पर खाद्य अनुज्ञा पत्र की प्रति पेश की, तत्पश्चात् विकेता की उपस्थिती में दुकान का निरीक्षण किया गया विक्रय हेतु प्रदर्शित खाद्य पदार्थ दाल चंवला मोगर (जगदम्बा ब्राण्ड) 30 किलोग्राम पेंकिग के 25 कट्टे दुकान में रखे मिले के मानक स्तर का नहीं होने का शक होने पर नमूना वास्ते जांच लेने की सूचना फार्म नं0 5 ए की प्रति गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जो कि न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक द्वारा खाद्य पदार्थ खाद्य पदार्थ दाल चंवला मोगर (जगदम्बा ब्राण्ड) का एक कट्टा खुलवाकर 4 किलोग्राम दाल वास्ते नमूना जांच हेतु कय कर राशि 196/– रू0 नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विकेता गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर आवेदक स्वयं ने भी हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने खरीदे गए खाद्य पदार्थ खाद्य पदार्थ दाल चंवला मोगर (जगदम्बा ब्राण्ड) 4 किलोग्राम को 4 बराबर बराबर भागों में विभक्त कर प्लास्टिक के डिब्बे में भरकर अच्छी तरह से बन्द किया तथा आवेदक द्वारा चार लेबल तैयार किये गये जिन पर नमूने का विवरण अंकित कर प्रत्येक नमूना भाग पर एक–एक लेबल चिपकाया। प्रत्येक नमूना भाग को मोटे खाकी कागज में लेपटकर अभिहित अधिकारी सवाई माधोपुर से प्राप्त पेपर स्लिप कमांक एच–1592 प्रत्येक नमूना भाग पर चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागें से बांधकर सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विकेता के हस्ताक्षर ... इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप रेफर दोनों पर आवे एवं सील बन्द नमूनों पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर आवेदक द्वारा हस्ताक्षर चार नमूना भागों को अपने कब्जे में लिया। शेष खाद्य पदार्थ दाल चंवला मोगर (जगदम्बा ब्राण्ड) के 24 कट्टे पैक एवं एक कट्टा खुला ... नियमानुसार सील कर ... 1,2,3,4 तैयार कर मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विकेता एवं गवाहान को पढकर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा ,जिससे विकेता कैलाश चन्द्र गर्ग पुत्र श्री हुचीलाल गर्ग ने भी पढकर ,समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Kishor Meena
Date: 2025.08.21 18:00:01 IST
Reason: SelfAttested

तत्पश्चात् आवेदक द्वारा कार्यालय में पहूँचकर फार्म नम्बर 6 की प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर नमूना सील लगायी जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं 2 प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सील्ड लिफाफे में मोहम्मद असलम वार्ड बॉय , कार्यालय मु0 चि0 एवं स्वा0 अधिकारी सवाई माधोपुर द्वारा खाद्य विश्लेषक ,कोटा को जमा करवाकर अलग–अलग रसीद प्राप्त की गई तथा नमूना का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के डी0ओ0 (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी) सवाई माधोपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी0ओ0 एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र कमांक/एमएसएसए/2019/807 दिनांक 01.04.2019 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विषलेषक कोटा की जांच रिपोर्ट संख्या 61/एफएसएसएल/कोटा/एक्ट/2019/142 दिनांक 18/03/2019 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ दाल चंवला मोगर (जगदम्बा ब्राण्ड) मिसब्राण्ड पाया गया।

उक्त प्रकरण में खाद्य विषलेषक कोटा की जांच रिपोर्ट संख्या 61/एफएसएसएल/कोटा/एक्ट/2019/142 दिनांक 18/03/2019 के अनुसार खाद्य कारोबारकर्त्ता ने मिसब्राण्ड खाद्य पदार्थ दाल चंवला मोगर (जगदम्बा ब्राण्ड) का निर्माण व विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है जो कि खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 धारा 52 में जुर्माना योग्य अपराध है। अतः आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अभियुक्तगण पर अधिकतम जुर्माना लगाया जाए ताकि आम जनता को सुरक्षित खाद्य उपलब्ध कराया जा सके।

न्याय निर्णयन आवेदन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अभियुक्त सं0 1 स्वयं उपस्थित। अभियुक्त सं0 2 बाबजूद सूचना अनुपस्थित। अभियुक्त सं0 1 को सुना गया।

अभियुक्त सं0 1 ने दौराने बहस निवेदन किया कि उक्त खाद्य पदार्थ दाल चंवला मोगर (जगदम्बा ब्राण्ड) में किसी भी प्रकार की कोई मिलावट प्राप्त नहीं हुई है। केवल कट्टों पर बेच नं0, निर्माण की दिनांक व खाद्य सामग्री के खराब होने की दिनांक अंकित नहीं होने के कारण उक्त खाद्य पदार्थ मिसब्राण्ड प्रकृति का पाया गया है। जिससे कम्पनी द्वारा सुधार लिया गया है। भविष्य में इस प्रकार की कोई पुर्नावर्ति नहीं होगी, साथ ही अभियुक्त ने उक्त प्रकरण में कार्यवाही ड्राप करवाने हेतु निवेदन किया है।

हमने अभियुक्तगण की बहस पर मनन किया साथ ही पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। साथ ही पत्रावली मे संलग्न खाद्य विषलेषक कोटा की जांच रिपोर्ट संख्या 61/एफएसएसएल/कोटा/एक्ट/2019/142 दिनांक 18/03/2019 का अवलोकन किया गया । जिसके अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ दाल चंवला मोगर (जगदम्बा ब्राण्ड) मिसब्राण्ड का निर्माण व विक्रय करने का दोषी पाया गया है। यदि अभियुक्त उक्त जांच रिपोर्ट से सहमत नहीं था तो रेफरल प्रयोगशाला में जांच करने हेतु निर्धारित समयावधि में आवेदन कर सकता था। अतः खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अभियुक्तगण के विरूद्ध की गई समस्त कार्यवाही उचित प्रतित होती है।

अभियुक्तगण द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की 2006 की धारा 52 के तहत की गई अनियमितता के लिये अभियुक्तगण को संयुक्त रूप से 10,000 (दस हजार) रू0 की आर्थिक शास्ति से अधिरोपित कर दण्ड से दण्डित किया जाता है तथा अभियुक्तगण को आदेशित किया जाता है कि वह उक्त दण्डित शास्ति राशि 30 दिवस की अवधि मे जरिए चालान जमा करवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी में पेश करे अन्यथा बाद गुजरने मियाद अपील नियमानुसार वसूली की कार्यवाही की जावेंगी। आदेश की एक प्रति आवेदक को एवं एक प्रति अभियुक्तगण को यदि उपस्थित हो तो व्यक्तिशः या प्राधिकृत व्यक्ति को परिदत्त की जावें। अन्य स्थिति में आदेश की प्रति जरिये पंजीकृत डाक से प्रेषित की जावें।

यह निर्णय आज दिनांक. 30.09.2024 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

30/09/2024

(रामकिशोर मीना)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Kishor Meena
Date: 2025.08.21 18:00:01 IST
Reason: SelfAttested